न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 380/2019

सूरजमल पुत्र देबूराम, जाति मीणा, निवासीः मामटोरी कलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. बालूराम पुत्र देबूराम
2. प्रभु पुत्र देबूराम
3. रोशनी पत्नि स्व. रिछपाल
   समस्त जाति मीणा, निवासीः मामटोरी कलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
5. सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19.07.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 76/2018 उनवानी प्रभु बनाम सुरजमल व अन्य अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री अशोक शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कैलाश बागडा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल. 3
श्री जितेन्द्र कुमार पारीक एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 11.03.2020

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला जयपुर के प्रार्थना पत्र संख्या 76/2018 बउनवानी प्रभु बनाम सुरजमल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 1150 रकबा 1.94 हैक्टेयर ग्राम मामटोरी कलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की खातेदारी प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के प्रत्येक के 1/5 हिस्सा दर्ज है व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/5 दर्ज है तथा 1/5 भाग प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की माता व प्रार्थीया सं. 3 की सास व अप्रार्थी संख्या 1 की माता मृतक सिणगारी के नाम दर्ज है जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 उसके वारिस व उत्तराधिकारी है व सिणगारी के नाम दर्ज 1/5 हिस्से के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

अधिकारी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य आराजी का कोई कानून बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 आराजी को शामिल में रहकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी में सिंचाई हेतु लगभग 4–5 साल पूर्व ही सम्मिलित रूप में बोंरिग का निर्माण किया है जिसमे 3/4 भाग का खर्चा प्रार्थीगण द्वारा व 1/4 हिस्से का खर्चा अप्रार्थी संख्या 1 ने वहन किया है तथा आराजी में स्थित बोरिंग से इंजन व जनरेटर द्वारा शामिल में रहकर ही सिंचाई व फसल काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य यह भी तय हुआ था कि आराजी में स्थित बोंरिग पर विद्युत संबंध लेने हेतु प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त रूप से ही पत्रावली लगायेगे व विद्युत संबंध लेगे जिससे आराजी को अपने हिस्से अनुसार सिंचाई में उपयोग लेगे। अप्रार्थी संख्या 1 के मन में बदनियति आ गयी इस कारण वह न तो आराजी का बंटवारा ही करता है न आराजी में स्थित शामिल में बोंरिग से सिंचाई ही प्रार्थीगण को करने देता है तथा वह अप्रार्थी संख्या 2 से साजकर आराजी में अकेले के नाम से विद्युत संबंध लेने पर आमादा है जिसके लिये अप्रार्थी संख्या 2 के कर्मचारी आराजी पर विद्युत संबंध जारी करने के लिये तकमीना बनाने आये जब प्रार्थीगण ने उन्हे बमुश्किल रोका लेकिन जाते जाते उन्होने व अप्रार्थी संख्या 1 ने स्पष्ट धमकी दी कि वह शीघ्र ही आराजी पर स्थित शामिल में बोंरिग में विद्युत संबंध प्राप्त कर अकेले सिंचाई करेगा व प्रार्थीगण को आराजी पर न तो काश्त करने देगा न ही सिंचाई करने देगा। कानूनन सहखातेदारी की भूमि पर बिना बंटवारा कराये न तो आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर अकेला कोई खातेदार काश्त की भूमि का अन्य किसी प्रकार उपयोग उपभोग व काम में नहीं ले सकता व शामिल के बोंरिग में विद्युत संबंध ही प्राप्त कर सकता न सहखातेदार को सिंचाई व काश्त करने से रोक सकता है व न ही विद्युत विभाग बिना अन्य सहखातेदारान की सहमति के अकेले के नाम विद्युत संबंध जारी ही कर सकता है। इस कारण प्रार्थीगण को आराजी मुतनाजा के प्रार्थीगण 3/4 व अप्रार्थी संख्या 1, 1/4 भाग के अनुसार बंटवारा कराये जाने व उसका लगान निर्धारण का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना भी आवश्यक है कि व आराजी का बिना विधिक बंटवारा कराये किसी विशिष्ट भू भाग पर कब्जा नहीं करे न प्रार्थीगण को बेदखल कर व आराजी में स्थित शामिल के बोंरिग से हिस्सेनुसार सिंचाई करने देवे व शामिल में बोंरिग पर अकेले विद्युत संबंध प्राप्त नहीं करे व अप्रार्थी संख्या 2 विद्युत संबंध जारी नहीं करे यदि अप्रार्थीगण अपने गैरकानूनी मंसूबो में सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी राशि में किया जाना संभव नहीं होगा व अनेक मुकदमेबाजी में फंसना पडेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रार्थीगण का पक्ष प्रथम दृष्टया में बलवान है व सुविधा का संतुलन व अकथनीय हानि का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अंत में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे हाल आराजी खसरा नंबर 1150 रकबा 1.94 हैक्टेयर वाके ग्राम मामटोरी कलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करे व शामिल में बोंरिग पर प्रार्थीगण को हिस्सेनुसार सिंचाई करने देवे व अप्रार्थी संख्या 1 अकेले विद्युत संबंध प्राप्त नहीं करे व अप्रार्थी संख्या 2 किसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम विद्युत संबंध ही जारी करे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

दिनांक 19.07.2019 को निर्णय पारित का अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलार्थी व उसके परिवारजन की मूलभूत सुविधा बिजली पानी को भी ध्यान में नहीं रखा है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के विवेचन में एक ओर तो खातेदारी घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने तथा दूसरी तरफ प्रकरण में सहखातेदारी भूमि होना अंकित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना ही गलत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस कारण अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2019 (1) आर.आर.टी. पेज 172, 1999 आर.बी.जे. पेज 404, 2000 आर.बी.जे. पेज 206, 2002 (2) आर.आर.टी. पेज 898 पेश किये। वकील रेस्पोडेन्ट्स ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को पूर्णतया समझकर रेस्पोडेन्ट्स की अपूर्तनीय क्षति को दृष्टिगत रखते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इससे उक्त निर्णय में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ द्वारा निर्णय दिनांक 19.07.2019 को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि विवादग्रस्त आराजीयात पक्षकारान की शामलाती आराजीयात है जिसके प्रार्थी व अप्रार्थी रिकॉर्डेड सहखातेदार है। शामलाती आराजीयात पर प्रत्येक खातेदार का समस्त भूमि पर समान अधिकार होता है। अपीलार्थी विशिष्ट भू भाग पर विद्युत संबंध प्राप्त करना चाहता है किन्तु विशिष्ट भू भाग पर कब्जे के संबंध में न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे आराजीयात के विशिष्ट भू भाग पर अपीलार्थी का कब्जा साबित माना जावे। इस कारण विशिष्ट भू भाग पर कब्जे के अभाव में अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता हैं। साथ ही अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को विशिष्ट भू भाग पर विद्युत कनेक्शन लिये जाने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो अपीलान्ट का विशिष्ट भू भाग पर विद्युत कनेक्शन होने से बंटवारा के पूर्व ही विशिष्ट भू भाग पर कब्जा हो जायेगा जिससे रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

निर्णय पारित किया है जिसमें मैं किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता उचित नहीं समझता हूँ। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner